न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-381/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
सरकार
बनाम
(1) विशेष कुमार मंडल, पिता-देवानंद मंडल,
सा0-भीमा, वार्ड सं0-10, थाना-पलासी, जिला-अररिया
(2) विकास कुमार, पिता-देवानन्द मंडल,
सा0-भीमा, वार्ड नं0-10, बलुआ देवहरी, पलासी, जिला-अररिया
(हीरो सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38V4128
चेसीस सं0-MBLJAWO93K9M03116
ईंजन सं0-JA05EGK9M22784 के मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-524/हि0शा0,दिनांक-01.03.2020) के आलोक में सिकटी थाना कांड संख्या-24/2020, दिनांक-23.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हीरो सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38V4128, चेसीस सं0-MBLJAWO93K9M03116, ईंजन सं0-JA05EGK9M22784 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0-02 की ओर से दिनांक-27.08.2020 को वकालतनामा के साथ कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु समयावेदन दिया गया, लेकिन आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-524/हि0शा0, दिनांक-01.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि उ0नि0/सा0 रामपाल, नाका पार्टी कमान्डर 'डी' समवाय सीमा चौकी, सोनापुर से नाका हेतु सीमा स्तम्भ संख्या-157/2 के लिए प्रस्थान किया। नाका ड्यूटी के दौरान समय लगभग 21.15 बजे देखा गया कि सीमा स्तम्भ संख्या-157/2 से 10 मीटर दूर एक मोटर साईकिल नेपाल से भारत में आ रही है। नाका पार्टी द्वारा उस व्यक्ति को रूकवाया और तलाशी ली गई तो उसके पास मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-अंकित नहीं, ईंजन सं0-JA05EGK9M22784, चेचीस सं0-MBLJAW093K9M0- 3116 पर एक बोरा कुल-60 बोतल प्रति बोतल 300 मिली लीटर कुल मात्रा-18 लीटर रेशम लीची नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-अंकित नहीं, ईंजन सं0-JA05EGK9M22784, चेचीस सं0-MBLJAW093K9M03116 को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया तथा विपक्षियों के विरूद्ध सिकटी थाना कांड संख्या-24/2020, दिनांक-23.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। जब्त वाहन का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया गया।	

अधिहरण वाद संख्या-381/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-524/हि0शा0, दिनांक-01.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि सिकटी थाना कांड संख्या-24/2020, दिनांक-23.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग कुल-18 लीटर रेशम लीची नेपाली देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। सिकटी थाना कांड संख्या-24/20, दिनांक-23.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में **जब्त हीरो सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38V4128, चेसीस सं0-MBLJAWO93K9M03116, ईंजन सं0- JA05EGK9M22784 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 1/04 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1016/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 01/04 समाहर्त्ता, अररिया	